कार्यालयः—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

(ब्लॉक—जी 3, सिविल लाईन, दुर्ग)

।। विज्ञापन ।।

क्रमांक 193/दो—11—1/2022 — दुर्ग दिनांक 15/06/2022

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2022 संध्या 5.00 बजे तक

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) की स्थापना में स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड—3 (साक्ष्य लेखक/आदेशिका लेखक/सेलअमीन) के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों से दिनांक **15.07.2022 संध्या 5.00 बजे तक** निर्धारित प्रारूप में **ऑफलाईन** आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:—

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पदों का आरक्षण विवरण															
			अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्टेनोग्राफर हिन्दी	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2	सहायक ग्रेड—3 (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेलअमीन)	11	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	2	1	1
	योग	14	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	4	2	1	1

महत्वपूर्ण टीपः—

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय हैं ।
2. जिस श्रेणी के उम्मीद्वारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाते हैं, तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं । अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जाएंगें ।
4. सा.प्र.वि.क. एफ 3—1/2016/1—3 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू है ।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

1. **स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिए–**

अ– छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (रू. 28700–91300)

ब– **शैक्षणिक योग्यता–**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/ कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

2. **सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक/आदेशिका लेखक/सेलअमीन) के पद के लिए–**

अ– छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (रू. 19500–62000)

ब– **शैक्षणिक योग्यता–**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/ कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(1) आयु सीमा–

अभ्यर्थी ने दिनांक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, तथा परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2015/1–3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला, दिव्यांग/निःशक्तजन, विधवा, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर

10/6/22

अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए <u>हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी</u> के प्रमाण पत्र मान्य होंगें, जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) <u>अन्य शर्ते</u>–

(1) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) चयनित उम्मीद्वारों को 03 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जावेगा ।
प्रथम वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत् अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगें । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जावेगा ।

(3) चयनित उम्मीद्वारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीद्वार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

(5) दिव्यांग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(6) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

(7) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(9) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध का दोष सिद्व ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्व न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।

(10) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(11) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

<u>आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार ए–4 साईज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्यदिवस में **दिनांक 17.06.2022 से 15.07.2022 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे** में जिस पर स्पष्ट रूप से <u>आवेदित पद</u>

16/6/22

अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए <u>हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी</u> के प्रमाण पत्र मान्य होंगें, जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) <u>अन्य शर्तें</u>–

(1) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) चयनित उम्मीद्वारों को 03 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जावेगा ।
प्रथम वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत् अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगें । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जावेगा ।

(3) चयनित उम्मीद्वारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीद्वार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

(5) दिव्यांग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(6) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

(7) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(9) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध का दोष सिद्व ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्व न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।

(10) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(11) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

<u>आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार ए–4 साईज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्यदिवस में **दिनांक 17.06.2022 से 15.07.2022 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे** में जिस पर स्पष्ट रूप से <u>आवेदित पद</u>

16/6/22

का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 (प्रथम मंजिल) में रखे गये ड्राप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगें। दिनांक 15.07.2022 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, दिव्यांगता आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा ।

2. **डाक, ई–मेल या अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें।**
3. विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग की शासकीय वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg से डाउनलोड की जा सकती है । निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगें ।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें ।
5. आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लाईसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।
6. बिना हस्ताक्षर के प्रांप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा ।
7. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे । आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

1. स्टेनोग्राफर हिन्दी

(अ) प्रथम चरण–लिखित परीक्षा–

सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी । प्रत्येक प्रश्न पर 02 अंक निर्धारित होंगें। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी । **लिखित परीक्षा, मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के छटंनी के लिए होगी** । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के **15** गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जावेगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर **एक समान अंक प्राप्त** करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

(ब) द्वितीय चरण–कौशल परीक्षा–

उम्मीद्वारों को 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 3 मिनिट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे 20 मिनिट की निर्धारित समय में शुद्वता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्वि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी ।

8/6/22

2. सहायक ग्रेड–3

(अ) प्रथम चरण–लिखित परीक्षा–

सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी । प्रत्येक प्रश्न पर 02 अंक निर्धारित होंगें। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी । **लिखित परीक्षा, मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के छटंनी के लिए होगी** । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के **15** गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जावेगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर **एक समान अंक प्राप्त** करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

(ब) द्वितीय चरण–कौशल परीक्षा–

उम्मीद्वारों को लगभग 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्वता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा । प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्वि के लिये भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी ।

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

केवल कौशल परीक्षा (द्वितीय चरण) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी । प्रतीक्षा सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी । समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

महत्वपूर्ण निर्देश:–

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगा ।
2. चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. चयनित उम्मीद्वार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा । शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ्यता या दोष जो पद या सेवा के कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाला हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
4. चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश उपरांत कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को होगा ।
6. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
7. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी)/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012

16/6/22

में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन की जावेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है ।

8. यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा ।

9. जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।

10. लिखित/कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg पर अपलोड की जावेगी । अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित रहना होगा । पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रेषित नहीं किया जावेगा । प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा । साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाईसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा ।

11. लिखित/कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा । अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी ।

12. आवेदक परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/durg से डाउनलोड करके परीक्षा के लिये निर्धारित समय से **एक घंटा पूर्व** उपस्थित होंगें, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा ।

13. परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन या अन्य संचार यंत्र वर्जित रहेगें।

14. लिखित/कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है ।

महत्वपूर्ण टीपः–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । लिखित/कौशल परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीद्वारी समाप्त की जावेगी । नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

स्थान–दुर्ग
दिनांक 16.06.2022

अध्यक्ष 16/6/22
भर्ती/चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्टेनोग्राफर (हिन्दी)/सहायक ग्रेड–3

(जिस पद के लिए आवेदन करें उसे चिन्हित करें, प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....

3. लिंग पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2, तृतीय लिंग–3 [ ]

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
   (हिन्दी में) ....
   ....
   ....

   (ब) स्थाई पता : ....
   ....
   ....

6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) : ....
   शब्दों में : ....

   (ब) दिनांक 01.01.2022 को आयु : .... वर्ष.................माह..............दिन

7. आवेदक का मोबाईल नम्बर : ....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें । [ ]

16/6/22

11. क्या आवेदक दिव्यांग/निःशक्तजन है? हां/नहीं
(यदि हां, तो जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. दिव्यांगता/निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत : ....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षक प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक : ....
एवं दिनांक : ....

15. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

16 क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं : ....

17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि : ....

18. जीवित बच्चों की संख्या : ....

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

21. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
टीप-प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें ।
प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/संलग्न नहीं

1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र (दसवीं) ....
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (बारहवीं) ....
3. स्नातक प्रमाण पत्र ....
4. हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र ....
5. हिन्दी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र ....

16/1/22

6. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....

7. छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र ....

8. छ.ग. स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....

9. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ....

10. आधारकार्ड / पैनकार्ड / मतदाता पत्र / लाईसेंस ....

11. अन्य

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

स्थान
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नं.
ई–मेल
(मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरें)

16/6/22